न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 128/2024

उनवान

मेघाराम पुत्र रतना जाति रावत नि. ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
–– अपीलांट :– जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बाघसुरी, नसीराबाद,
2. उमी,
3. गुमानी पि. रतना,
4. फूमी पत्नी रतना,
5. रणजीत सिंह पुत्र रतना,
6. सीता पुत्री रतना जाति बनेवडा, नसीराबाद,
7. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– रेस्पोडेन्टस :– 1 से 6 अनुपरिस्थित
7 जरियें राज. पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनिश्म 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत बाघसुरी पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2006 विरासत का नामान्तकरण संख्या 2 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

–: आदेश :– दिनांक :– 2/9/24

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बनेवडा के हाल खाता संख्या 296 व 469 के मूल खातेदार अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 6 के पिता/पति रतना पुत्र सवाई सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 19.05.06 को रतना की विरासत दर्ज करते समय अपीलांट का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से मेघाराम के बजाय मेघसिंह गलत अंकित कर दिया गया। जबकि अन्य सभी दस्तावेज में अपीलांट का सही नाम मेघाराम अंकित है। नामान्तकण विधि के प्रावधान के तहत निरस्त होने के कारण नामानतकरण खारिज करने के आदेश पारित करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्व करे।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता [illegible] व [illegible].पैरोकार की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ [illegible] प्रार्थना [illegible] धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित विलम्ब के कारण [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आराजी मुतनाजा हाल [illegible] संख्या 296/277 किता

––2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर

रकबा 4.41, 469/441 किता 7 रकबा 0.75 की आराजी पर अपीलांट का नाम मेघ सिंह पुत्र रतना दर्ज है। उक्त आराजी अपीलांट को जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 04.06.2006 से प्राप्त हुयी है। अपीलांट का नाम अन्य दस्तावेज में मेघाराम अंकित है। नामान्तकरण में सहवन से मेघसिंह अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि सद्भाविक है जिसकी दुरुस्ती से किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नही होते है। रेस्पोडेन्टस प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तकरण में अपीलांट के नाम की त्रुटि सद्भाविक होने से नामान्तकरण निरस्त योग्य है।

उक्तानुसार अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम बनेवडा का नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 04.06.2006 निरस्त किया जाता है। उक्त नामान्तकरण में रतना पुत्र सवाई की विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही तहसीलदार नसीराबाद नवीन सिरे से करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested